

# उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-42/2024-25

IDBI BANK LTD.

बनाम्

M/S SATWIK STEEL

—: आदेश :—

29.08.2024

प्राधिकृत पदाधिकारी, IDBI BANK LTD. 1<sup>st</sup> Floor, Madras Sammelani, L Road, Bistupur, Jamshedpur, Jharkhand-831001 के द्वारा धारा-14 (1) and (2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 के अन्तर्गत विपक्षी विपक्षी 1. M/s Satwik Steel, Prop. Mrs. Ranju Sharma W/o Mr. Mukund Kumar 2. Mr. Mukund Kumar Both R/O Plot No. 364, Diwanganj, Pindrajora Bokaro 827013 के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष IDBI BANK LTD. की ओर से शाखा प्रमुख के द्वारा पक्ष रखते हुए कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (All the peace and parcel of immovable properties comprised in the survey Plot No. 364, Khata No. 2 At. Mouza Diwanganj, Thana Pindrajora, Thana No. 48, Revenue Mandal Chas. District Bokaro in the state of Jharkhand admeasuring area 30 decimal, 3 decimal, 9.18 decimal and 19 decimal.) को गिरवी रखते हुए बैंक से रुपये 56,99,000.00 (छप्पन लाख निनाबे हजार) मात्र ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्ता का खाता दिनांक-06.06.2024 को ही एनपीओ हो गया है। दिनांक-06.06.2024 तक ऋणकर्ता पर कुल रुपये 23,53,860.21/- के साथ ब्याज एवं अन्य शुल्क का बकाया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI

ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI ACT-2002 की धारा-14 (1) and (2) के तहत प्रथम पक्ष के द्वारा विपक्षी के बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इस हेतु दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की माँग की गई है।

द्वितीय पक्ष को निबंधित डाक से नोटिस तामिला हेतु भेजे जाने के बाद भी वह सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित है।

प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा दाखिल आवेदन पत्र, उनके विद्वान अधिवक्ता का दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि बैंक के द्वारा विपक्षी से ऋण की वापसी हेतु SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई की गई। उसके बाद भी उनके द्वारा ऋण की वापसी की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और न ही ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। विपक्षी का सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहना और अपने बचाव में किसी भी तरह का कारण-पृच्छा/लिखित जबाब दाखिल नहीं किया जाना उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1) एवं (2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, IDBI BANK LTD. 1<sup>st</sup> Floor, Madrasi Sammelani, L Road, Bistupur, Jamshedpur, Jharkhand- 831001 द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

4/2/08  
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी  
बोकारो।

4/2/08  
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी  
बोकारो।